



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1886]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2012/भाद्र 29, 1934

No. 1886]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2012/BHADRA 29, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2012

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2012

का.आ. 2260(अ).—केन्द्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा-1 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर उप-धारा (6) के अधीन मजदूरी के रूप में अठारह हजार रुपये प्रति मास विनिर्दिष्ट करती है।

S.O. 2260(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 1 of Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government, on the basis of figures of the Consumer Expenditure Survey published by the National Sample Survey Organisation, hereby specifies Rupees eighteen thousand per month as the wages under said sub-section (6).

[फा. सं. एस-31018/3/2007-डब्ल्यूसी]

टी. के. बासु, उप-महानिदेशक

[F.No. S-31018/3/2007-WC]

T. K. BASU, Dy. Director General